संख्या-379/आठ–1–2023–330/2023

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।
3. **अध्यक्ष/जिलाधिकारी,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।
4. **जिलाधिकारी/अध्यक्ष,**
नियन्त्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊः दिनांकः 31 मार्च, 2023**

विषयः उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के अन्तर्गत नोडल संस्था–इन्वेस्ट यूपी द्वारा निर्गत/स्वीकृति प्राप्त चार्जिंग स्टेशनों को भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

औद्योगिक विकास अनुभाग–6 की अधिसूचना संख्या–41/2022/2596/77–6–2022–1(एम)/2022 दिनांक 14 अक्टूबर, 2022 द्वारा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 प्रख्यापित की गयी है।

2– उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के अधीन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहन देने के लिए प्रस्तर–3.1 के अन्तर्गत बिन्दु (3) में निम्न प्राविधान हैं:–

(3) राज्य सरकार प्रदेश में चार्जिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए सेवा प्रदाताओं को भूमि उपलब्ध कराएगी।

(क) चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने हेतु सरकारी संस्थाओं को भूमि 10 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे/लीज पर ₹ 1 kwh की दर पर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के निर्दिष्ट एवं समय–समय पर संशोधित एमओयू के माध्यम से दिनांक 14.01.2022 को पुनरीक्षित मानकों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए निर्धारित रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के माध्यम से प्रदान की जाएगी। पट्टा अवधि, राजस्व बंटवारा दर एवं अन्य निर्धारित मानकों को विद्युत मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार समय–समय पर अद्यतन किया जाएगा।

(ख) चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने हेतु निजी संस्थाओं को भूमि समान रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के माध्यम से ₹ 1 kwh की दर पर 10 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर प्रदान की जाएगी। पट्टा अवधि, राजस्व बंटवारा दर एवं अन्य निर्धारित मानकों को विद्युत मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार समय–समय पर अद्यतन किया जाएगा। ऐसी संस्थाओं का चयन सेवा शुल्क को बीडिंग पैरामीटर रखते हुए निविदा आमंत्रित करते हुए न्यूनतम सेवा शुल्क के आधार पर किया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को न्यूनतम चार्जिंग शुल्क देना होगा। ऐसी निजी संस्थाओं को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार व आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा समय–समय पर अधिसूचित अन्य दिशा–निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। चार्जिंग सुविधा के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने वाले सम्बन्धित स्थानीय निकाय/सरकारी संस्था द्वारा निविदा का प्रबन्धन किया जाएगा।

3— उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के प्रस्तर–3.2 'प्रमुख परिभाषाएं' के अन्तर्गत प्रस्तर–4 (क) में चार्जिंग स्टेशन को निम्नवत् परिभाषित किया गया है:–

"(क) <u>चार्जिंग स्टेशन</u>, अर्थात् कोई भी निजी स्वामित्व वाला, डिस्कॉम के स्वामित्व वाला तथा निवेशक के स्वामित्व वाला चार्जिंग समर्पित सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन(द्रुत,मंद गति सहित), जो किसी भी सार्वजनिक/निजी उपयोग वाले ईवी अथवा ईवी बेड़े को चार्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है तथा स्वतंत्र गृहों, भवन, Group Housing, कार्यालय, सार्वजनिक स्थान या समर्पित पार्किंग भूमि में स्थापित किया जा सकता है, जो स्व–संचालित अथवा सीपीओ–प्रबन्धित (चार्ज प्वाइंट आपरेटर प्रबन्धित) हो सकता है, जिसमें ₹ 25 लाख व उससे अधिक (भूमि लागत को छोड़कर) का स्थाई पूंजी निवेश किया गया हो। चार्जिंग स्टेशन समय–समय पर संशोधित विद्युत मंत्रालय (एमओपी) एवं भारी उद्योग विभाग (डीएचआई), भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करेंगे।"

4— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के अधीन नोडल संस्था–इन्वेस्ट यूपी द्वारा निर्गत/स्वीकृति प्राप्त चार्जिंग स्टेशनों के लिए उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या –379 (1)/आठ–1–2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, कक्ष संख्या–209, सी–ब्लाक, लोक भवन, लखनऊ को उनके पत्र संख्या–907/77–6–2023–2(M)/2022 दिनांक 09.03.2023 के अनुक्रम में।
2. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. नयत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं Invest Up at advantegeup@investup.org.in and soiid6.up@gmail.com पर शेयर करने हेतु।
7. गार्ड फाईल।

भवदीय,

31.3.2023

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।